ए.

मीना देवी

वी.

नुनु चंद महतो @एन. ई. एम. एच. डी. महतो और ओ. आर. एस. (2022 की सिविल अपील संख्या 7255)

बी.

13 अक्टूबर, 2022

[संजीव खन्ना और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:एसएस।140, 166 आरडब्ल्यू एस।171 – क्षतिपूर्ति-वृद्धि-एक मोटर दुर्घटना में 12 वर्षीय लड़के की मृत्यु-न्यायाधिकरण ने एक लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया। 1,50,000-, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर रु। 2,00,000-दावा याचिका के मूल्य तक-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःदावा याचिका में किया गया कम मूल्यांकन, यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक उचित मुआवजा देने में बाधा नहीं होगी-न्यायाधिकरण/अदालत को 'न्यायसंगत' मुआवजा देना चाहिए जो रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्यों में उचित हो-तथ्यों पर, की गई गणना को देखते हुए मुआवजे की राशि न्यायसंगत और उचित नहीं है-मृतक की मां के नेत्र संबंधी बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक एक प्रतिभाशाली छात्र था, जो एक निजी स्कूल में पढ़ रहा था, इस प्रकार, अनुमानित कमाई को रु। 30, 000/- भविष्य की संभावना और 15 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता का नुकसान रु। 4,50,000-और रुपये जोड़ें। पारंपरिक मद में मुआवजे की कुल राशि 50,000/- रुपये होगी। 5,00,000-- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे में एक लाख रुपये की वृद्धि की गई। 3,00,000-, इसके अलावा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

किशन गोपाल और एक अन्य बनाम लाला और अन्य **(2014)**

1 एससीसी **244:[2013] 10** एस**.** सी**.** आर**. 793-**निर्भर।

आर**.** के**.** मलिक और एक अन्य बनाम किरण पाल और अन्य **(2009)**

14 एससीसी 1:[2009] 10 एस. सी. आर. 87; सरला वर्मा और अन्य

बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एक अन्य **(2009) 6**

जी.

एससीसी 121:[2009] 5 एस. सी. आर. 1098; लता वाधवा और

अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य **(2001) 8** एससीसी **197**

:[2001] 1 पूरक।एससीआर 578; एम. एस. ग्रेवाल और एक अन्य बनाम दीप चंद सूद और अन्य (2001) 8 एस. सी. सी. 151:[2001]

2 पूरक।एससीआर **156;** कुरवन अंसारी **@**कुरवन अली और एक अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और एक अन्य **(2022)**

एच.

449

450 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

1 एस**.** सी**.** सी**. 317;** नागप्पा बनाम गुरदयाळ सिंह और अन्य

(2003) 2 एससीसी **274:[2002] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 499-**संदर्भित।

टैफ वेल रेल। बनाम जांकिन्स 1913 ए. सी. 1-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

बी.

[2009] 10 एससीआर **87**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2013] 10 एससीआर **793**

उस पर भरोसा करें

पैरा **4**

पैरा **4**

[2009] 5 एससीआर **1098**

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 पूरक।एससीआर **578**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

सी.

[2001] 2 पूरक।एससीआर **156**

संदर्भित किया गया है

पैरा **9**

(2022) 1 एस**.** सी**.** सी**. 317**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[2002] 4 पूरक।एससीआर **499**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 7255।

डी.

2013 के एम. ए. सं. 16 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

डी. पी. चतुर्वेदी, अनुज वर्मा, रमेश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ई.

अनूप कुमार, सुश्री श्रुति सिंह, सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.**

एफ.

अनुमति दी गई

2. वर्तमान मामले के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि बच्चा, अर्थात्; दुर्घटना की तारीख को लगभग 12 वर्ष की आयु के बांकी बिहारी को, अपने घर के सामने खेलते हुए, पंजीकरण संख्या वाली कमांडर जीप ने टक्कर मार दी थी। जेएच-11 ए 6894 और धनबाद के एक अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई।मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 171 के साथ पठित धारा 140,166 (संक्षेप में, "एम. वी. अधिनियम") के तहत एक दावा याचिका में मुआवजे की मांग की गई है। 2,00,000-ब्याज के साथ अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था, जो मृत बच्चे की माँ है।

जी.

एच.

451

मीना देवी बनाम नूनु चंद महतो @एन. एम. एच. डी. महतो और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

ए.

3. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गिरिडीह (संक्षेप में, "M.A.C.T".) ने एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। 1,50,000-एकमुश्त में।2013 की विविध अपील संख्या 16 दायर करके इस तरह के निर्णय की अपर्याप्तता पर आरोप लगाने पर, रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया। 2,00,000-दावा याचिका में किए गए दावे के मूल्य के बराबर।

बी.

4. इस तरह के मुआवजे के अनुदान की पर्याप्तता पर सवाल उठाते हुए वर्तमान अपील दायर की गई है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने "आर्थिक" और "गैर-आर्थिक" नुकसान के शीर्षों में राशि का आकलन करने में गलती की है।एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय ने "संभावित सुख की हानि" और अन्य पारंपरिक शीर्षों के तहत कोई राशि नहीं दी है और निर्भरता की हानि के शीर्ष के तहत दी गई राशि अपर्याप्त है।इसलिए मुआवजे को बढ़ाया जा सकता है।आर. के. मलिक में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना

सी.

और एक अन्य बनाम किरण पाल और अन्य (2009) 14 एस. सी. सी. 1, यह आग्रह किया जाता है कि

उच्च न्यायालय ने मुआवजे की गणना करते समय 'भविष्य की संभावना' जोड़े बिना मृतक की काल्पनिक आय के लिए कम मात्रा का आकलन करने में त्रुटि की।रिलायंस को आगे के फैसले पर रखा गया है

डी.

किशन गोपाल और एक अन्य बनाम लाला के मामले में यह न्यायालय और

अन्य **(2014) 1** एस**.** सी**.** सी**. 244** जिसमें मुआवजे की गणना रु**. 30, 000/-** रुपये के स्थान पर भविष्य की संभावनाओं सहित अनुमानित आय के रूप में। **15, 000/-** जैसा कि एम**.** वी**.** अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और सरला वर्मा के निर्णय में निर्दिष्ट गुणक को लागू करना और

ई.

अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य **(2009) 6** एस**.** सी**.** सी**.**

121. यह भी तर्क दिया जाता है कि मृत्यु के मामले में, उचित और उचित मुआवजे की राशि ब्याज के साथ दी जानी चाहिए।यह आग्रह किया जाता है कि दावे का मूल्यांकन न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि उच्च न्यायालय ने दावा याचिका के मूल्यांकन के बराबर मुआवजे को सीमित करने में त्रुटि की है।5. श्री अनूप कुमार और सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ताओं ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से वकालतनामा दायर किया है।प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया था।

एफ.

जी.

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि एम. ए. सी. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे न्यायसंगत और उचित हैं, हालांकि दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि अपील खारिज किए जाने के योग्य है।

एच.

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और निष्कर्षों को देखने के बाद, बीमा कंपनी का दायित्व विवाद में नहीं है और दावेदार द्वारा केवल मात्रा पर सवाल उठाया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 4-बीमा कंपनी के दायित्व के मुद्दे पर, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को मंजूरी देते हैं।

8. इस मामले के तथ्यों में मुआवजे की गणना पर लौटते हुए, एक बच्चे की 12 साल की उम्र में अपने घर के सामने खेलते हुए सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।वह नेहरू अकादमी, गिरिडीह रोड, जामताड़ा, डुमरी में 5 वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, हालांकि यह देखना आवश्यक है कि मुआवजे की गणना कैसे की जा सकती है।उसकी माँ द्वारा दिए गए नेत्र संबंधी बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक बच्चा कक्षा 5 का एक प्रतिभाशाली छात्र था और अगर वह दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता, तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक अधिकारी बन जाता।उक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, मुआवजे का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

बी.

सी.

9. आर. के. मलिक (ऊपर) के फैसले में, एक स्कूल बस में जा रहे 29 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक सड़क दुर्घटना में अपमानजनक वाहन नीचे गिर गया, जिससे पुल की रेलिंग टूट गई, जो नवंबर, 1997 में हुई थी।उक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुआवजे के निर्धारण के सिद्धांत का पालन एम. वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची और माता-पिता की आयु को ध्यान में रखते हुए उचित गुणक को लागू करते हुए किया जा सकता है।यह भी कहा गया है कि भविष्य की संभावनाओं के संबंध में दावे को अदालतों द्वारा स्कूल के प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के आधार पर संबोधित किया जाना चाहिए था। उक्त मामले में, लता वाधवा के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत और

डी.

ई.

अन्य बनाम। बिहार राज्य और अन्य **(2001) 8** एस**.** सी**.** सी**. 197** और एम**.** एस**.** ग्रेवाल और अन्य बनाम। दीप चंद सूद और अन्य **(2001) 8** एस**.** सी**.** सी**. 151**

इसका पालन किया गया और सुधार किया गया।लता वाधवा (ऊपर) के मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि 5 से 10 और 10 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विभाजित करके मुआवजा दिया जा सकता है।यह माना जाता है कि मुआवजे का ऐसा अनुदान आवश्यक रूप से माता-पिता को संभावित नुकसान का दावा करने से नहीं रोकेगा और यह वैध होगा।इस न्यायालय ने प्रसिद्ध मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर भी भरोसा किया

एफ.

टैफ वेल रेल। बनाम यांकिन्स 1913 एसी 1, जिसमें लॉर्ड एटकिंसन ने अवलोकन किया था

जी.

इस प्रकारः“...बस इतना ही आवश्यक है कि मुकदमा करने वाले व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ की उचित अपेक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।यह बिल्कुल सच है कि इस अपेक्षा का अस्तित्व तथ्य का एक अनुमान है-तथ्य का एक आधार होना चाहिए जिससे निष्कर्ष ए हो सकता है

एच.

453

मीना देवी बनाम नूनु चंद महतो @एन. एम. एच. डी. महतो और ओ. आर. एस. [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

लेकिन मैं इस प्रस्ताव से अपनी जोरदार असहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि दो तथ्य जिनके बिना निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, पहला, कि मृतक ने अतीत में धन अर्जित किया था और दूसरा, कि उसने वादी के समर्थन में योगदान दिया था।इनमें कोई संदेह नहीं है कि ये साक्ष्य के महत्वपूर्ण अंश हैं, लेकिन ये केवल साक्ष्य के अंश हैं और मुझे लगता है कि आवश्यक निष्कर्ष उनके अलावा और उनसे अलग परिस्थितियों से लिए जा सकते हैं।”

बी.

10. इस प्रकार अवलोकन के आधार पर, यह कहा जाता है कि बच्चे की मृत्यु के मामले में मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई भी दिशा-निर्देश जारी करने के स्थान पर, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए इसे खुला छोड़ा जा सकता है।एम. एस. ग्रेवाल (ऊपर) के मामले में, एक नदी में डूबने से 14 स्कूली छात्रों की मौत हो गई।इस अदालत ने यह देखते हुए कि छात्र उच्च मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से संबंधित थे, हालांकि रुपये के मुआवजे का आदेश दिया।इसके बाद किशन गोपाल (उपरोक्त) के मामले में, एक सड़क दुर्घटना में लगभग 10 वर्ष की आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई, इस न्यायालय ने एम. वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची से प्रस्थान किया और 5 लाख रुपये की अनुमानित आय को स्वीकार किया। 30, 000/- रुपये के स्थान पर। 15, 000/- इस सादृश्य को लागू करते हुए कि रुपये का मूल्य 1994 के बाद से काफी कम हो गया है जब रुपये की अनुमानित आय रु। मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 15000/- निर्धारित किया गया था। हालांकि अनुमानित आय को रुपये के रूप में स्वीकार करते हुए। 30, 000/- और माता-पिता की आयु के अनुसार यानी 36 वर्ष, निर्भरता के नुकसान की गणना 15 रुपये के गुणक को लागू करते हुए की गई थी। 4,50,000-और रु. 50, 000/- रुपये की कुल राशि प्रदान करते हुए पारंपरिक शीर्षों के तहत सम्मानित किया गया था। 5,00,000-।

सी.

डी.

ई.

11. हाल ही में कुरवन अंसारी @कुरवन अली और एक अन्य बनाम श्याम किशोर मुर्मू और एक अन्य (2022) 1 एससीसी 317 के मामले में,

एफ.

जिसमें एक सड़क दुर्घटना में लगभग 7 वर्ष की आयु के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, इस न्यायालय ने अनुमानित आय को रु। 25, 000/-, 15 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता के नुकसान की गणना रु। 3,75,000-और रुपये जोड़ें। 55, 000/- पारंपरिक शीर्षों में, रु। 4,70,000-।12. पूर्वगामी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि बाल मृत्यु के मामलों में, रु। 15, 000/-, जैसा कि एम. वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, धन के अवमूल्यन और एम. वी. अधिनियम की दूसरी अनुसूची लागू होने की तारीख से रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण बढ़ाया गया है और उक्त अनुमानित आय को रु. 30, 000/- किशन गोपाल (ऊपर) के मामले में

जी.

एच.

और रु. 25, 000/- कुरवन अंसारी (ऊपर) में क्रमशः 10 और 7 वर्ष के आयु वर्ग में।

13. इस प्रकार उक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में बच्चे की उम्र यानी 12 वर्ष को देखते हुए, किशन गोपाल (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं।मृतक की माँ के नेत्र संबंधी बयान के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक एक प्रतिभाशाली छात्र था और एक निजी स्कूल में पढ़ रहा था।इसलिए, अनुमानित कमाई को स्वीकार करते हुए रु। 30, 000/- भविष्य की संभावना सहित और सरला वर्मा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए 15 के गुणक को लागू करते हुए, निर्भरता का नुकसान रु। 4,50,000-और अगर हम रु. जोड़ते हैं। 50, 000/- पारंपरिक शीर्षों में, फिर मुआवजे की कुल राशि रु. 5,00,000-आती है।एम. ए. सी. टी. के फैसले के अनुसार, एकमुश्त मुआवजे के रूप में रु. 1,50,000-को सम्मानित किया गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर रु। 2,00,000-दावा याचिका के मूल्य तक।हमारे विचार में, मुआवजे की उक्त राशि ऊपर की गई गणना को देखते हुए उचित और उचित नहीं है।इसलिए, हम कुल मुआवजे का निर्धारण रुपये के रूप में करते हैं। 5,00,000-

और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को कम करने पर अर्थात रु. 2,00,000-बढ़ी हुई राशि रु। 3,00,000-।

बी.

सी.

डी.

14. इस स्तर पर, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नागप्पा बनाम गुरदयाळ सिंह और अन्य (2003) 2 एस. सी. सी. 274 मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के अनुसार, यह देखा गया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कोई प्रतिबंध नहीं है कि न्यायाधिकरण/न्यायालय इस तरह से दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा नहीं दे सकता है।न्यायाधिकरण/न्यायालय को 'न्यायसंगत' मुआवजा देना चाहिए जो अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्यों में उचित हो।इसलिए, दावा याचिका में किया गया कम मूल्यांकन, यदि कोई हो, दावा की गई राशि से अधिक उचित मुआवजा देने में बाधा नहीं होगी।

ई.

एफ.

15. तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि में एक लाख रुपये की वृद्धि की गई है। 3,00,000-, इसके अलावा।मुआवजे की कुल राशि एक करोड़ रुपये होगी। 5,00,000-।बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका की तारीख से वसूली तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।देय राशि का भुगतान प्रत्यर्थी संख्या 4-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।16. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

जी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

एच.